



NHRC और संबद्ध चुनौतियाँ

प्रलिस के लिये:

[राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम \(PHRA\), 1993](#), [संयुक्त राष्ट्र \(UN\)](#)

मेन्स के लिये:

[राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) की भूमिका और कार्य, उभरती मानवाधिकार चुनौतियाँ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानवृत्त) वी. रामसुब्रमण्यम को भारत के [राष्ट्रपति](#) द्वारा [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- न्यायमूर्ति (सेवानवृत्त) अरुण कुमार मशिरा का 1 जून 2024 को कार्यकाल पूरा होने के बाद से यह पद रिक्त था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

- परिचय:**
 - भारत का **NHRC मानव अधिकारों** को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिये स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
- स्थापना:**
 - इसका गठन **12 अक्टूबर 1993** को [मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम \(PHRA\), 1993](#) के तहत किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2006 और वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था।
 - आयोग की स्थापना **पेरिस संधि** के अनुरूप की गई थी, जो मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिये अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय मानक हैं।
 - पेरिस संधि** मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिये **पेरिस (अक्टूबर, 1991)** में अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय मानकों का समूह है और 20 दिसंबर, 1993 को [संयुक्त राष्ट्र \(UN\)](#) की **महासभा** द्वारा अनुमोदित किया गया था।
 - ये संधिगत विश्व भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (NHRI) के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं।

//

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- ① मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- ① मामलों का स्वतः संज्ञान
- ① मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- ① मानवाधिकार जागरूकता फैलाना
- ① मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- ① व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- ① यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- ① मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- ① 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- ① **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- ① **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- ① **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

कार्यकाल

- ① 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- ① राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- ① **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक

गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- NHRC को वर्ष 1999 से 'A' श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- 'A' श्रेणी की स्थिति: वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- 'A' स्थिति का निलंबन: वर्ष 2023 और वर्ष 2024



■ भूमिका और कार्य:

- **न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप:** यह संबंधित न्यायालय की पूर्वानुमति से मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़े न्यायालयी मामलों में हस्तक्षेप करता है।
- **सुरक्षा उपायों की समीक्षा:** यह मानवाधिकार संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और मौजूदा कानूनों का विश्लेषण करता है तथा उनके प्रभावी प्रवर्तन के लिये उपाय प्रस्तावित करता है।
- **मानवाधिकारों के अवरोधकों का मूल्यांकन:** यह आतंकवाद सहित उन कारकों की जाँच करता है जो मानव अधिकारों के प्रवर्तन में बाधा डालते हैं तथा उचित उपाय सुझाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वषियों का अध्ययन:** यह मानव अधिकारों पर संधियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का भी विश्लेषण करता है, तथा भारतीय संदर्भ में उनके कार्यान्वयन के लिये सिफारिशें प्रस्तुत करता है।
- **अनुसंधान एवं संवर्द्धन:** यह मानवाधिकारों पर अनुसंधान करता है तथा विभिन्न वषियों में इसके अध्ययन को प्रोत्साहित करता है।
 - यह प्रकाशनों, संगोष्ठियों, मीडिया और अन्य माध्यमों से मानवाधिकार साक्षरता और जागरूकता को भी बढ़ावा देता है।

■ NHRC की शक्तियाँ: सविलि प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार NHRC को सविलि न्यायालय के समकक्ष शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन शक्तियों में शामिल हैं:

- **दस्तावेजों** की खोज और प्रस्तुतीकरण का आदेश देना।
- शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत साक्ष्य प्राप्त करना।
- किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।
- गवाहों या दस्तावेजों की जाँच के लिये कमीशन जारी करना।
- प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करना।

■ NHRC जाँच दल: NHRC का अपना जाँच दल है जिसका नेतृत्व पुलिसि महानदिशक करते हैं।

- यह केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग भी कर सकता है तथा जाँच के लिये सरकारी संगठनों के साथ सहयोग भी कर सकता है।

NHRC से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **गैर-बाध्यकारी अनुशंसाएँ:** NHRC सरकार को केवल अनुशंसाएँ कर सकता है, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। इससे उसके नरिण्यों को लागू करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
 - **पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्त**, जो वर्ष 2016 में इसके अध्यक्ष थे, ने मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले में आयोग की कथित नष्क्रियता के कारण इसे "दंतवहीन बाघ" कहा था।
- **क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएँ:** NHRC का क्षेत्राधिकार सार्वजनिक और नजिी प्राधिकारियों द्वारा कथि गए मानवाधिकार उल्लंघनों तक सीमित है।
 - यह नजिी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा कथि गए उल्लंघनों को संबोधित नहीं कर सकता है। सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों पर भी इसका अधिकार क्षेत्र सीमित है।
- **प्रवर्तन शक्त का अभाव:** NHRC के पास उन प्राधिकारियों को दंडित करने का अधिकार नहीं है जो इसकी सफारिशों को लागू करने में वफिल रहते हैं।
- **संसाधन की कमी:** NHRC को प्रायः अपर्याप्त धन और स्टाफिंग सहित संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है, जो मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने और प्रभावी ढंग से उनका समाधान करने की इसकी क्षमता बाधित होती है।
- **अत्यधिक कार्यभार:** NHRC को बड़ी संख्या में शिकायतें और याचिकाएँ प्राप्त होती हैं, जिससे मामलों को शीघ्रता एवं पूरी तरह से नपिटाने की उसकी क्षमता पर असर पड़ सकता है।
- **जागरूकता और पहुँच:** बहुत से लोग NHRC के अस्तित्व और इसके अधदिश से अनभिज्ञ हैं, जिसके कारण इसमें प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या सीमित है।
 - इसके अतिरिक्त, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बोझिल हो सकती है तथा हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये यह पहुँच से बाहर हो सकती है।
- **वैश्विक स्तर पर मान्यता का अभाव:** जनिवा संधि संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध निकाय, [ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स \(GANHRI\)](#) ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के संबंध में चर्चाओं को उजागर करते हुए [भारत के NHRC की मान्यता को स्थगित](#) कर दिया है।
- **अपवाद:** NHRC एक वर्ष से पुराने, गुमनाम, छद्मनाम या अस्पष्ट मामलों पर वचिर नहीं करता है।
 - इसमें महत्त्वहीन मामलों और सेवा संबंधी मामलों को भी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वे इसके अधिकार क्षेत्र या अधदिश से बाहर हैं।
 - यह भी देखा गया है कि कभी-कभी NHRC राजनीतिक रूप से प्रभावित मामलों को लेता है और दूसरे को छोड़ देता है।

NHRC की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये क्या उपाय कथि जाने चाहिये?

- **प्रवर्तन शक्तियाँ प्रदान करना:** NHRC को अपनी सफारिशों को लागू करने के लिये सशक्त बनाने से अनुपालन में वृद्धि होगी और मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- **जाँच प्राधिकार का वसितार:** NHRC के अधिकार क्षेत्र का वसितार करके इसमें नजिी व्यक्तियों या संस्थाओं, विशेष रूप से कॉर्पोरेट और स्वास्थ सेवा क्षेत्रों में कथि गए उल्लंघनों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- **समयबद्ध जाँच:** जाँच पूरी करने के लिये समय-सीमा लागू करने से पीड़ितों को न्याय मिलने में तेज़ी आएगी तथा शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित होगा।
- **वर्ततीय स्वायत्तता में वृद्धि:** NHRC के लिये सरकारी नियंत्रण से मुक्त एक समर्पित, स्वतंत्र बजट आवंटित करने से इसकी परिचालन दक्षता बढ़ेगी और बाहरी प्रभाव कम होगा।
- **उभरते मुद्दों पर ध्यान देना:** NHRC को [डिजिटल गोपनीयता](#), [कृत्रिम बुद्धिमत्ता](#) और [पर्यावरण अधिकार](#) जैसी उभरती मानवाधिकार चुनौतियों के अनुकूल होना चाहिये।
 - इन मुद्दों के समाधान के लिये NHRC के भीतर विशेष समितियों या अनुसंधान प्रभागों की स्थापना से समकालीन चुनौतियों का सक्रिय जवाब देने में मदद मिलेगी।
- **नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** NHRC के सदस्यों और कर्मचारियों के लिये नरितर प्रशिक्षण और कौशल विकास यह सुनिश्चित करेगा कि वे जटिल और उभरते मानवाधिकार मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिये अच्छी तरह से सुसज्जित हों।
- **संस्थागत जवाबदेही:** भारत को UNHRC जैसे वैश्विक निकायों से अंतरराष्ट्रीय मानकों और मान्यताओं को अपनाने की आवश्यकता है।
 - इससे यह सुनिश्चित होगा कि NHRC के प्रदर्शन का नरितर मूल्यांकन कथि जाएगा, जिससे इसके अधदिश को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता में सुधार होगा।

कमज़ोर वर्गों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय आयोग

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग (NCSC):**
 - [NCSC](#) की स्थापना अनुच्छेद 338 द्वारा की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और [राष्ट्रपति](#) द्वारा नियुक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं।
- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजात आयोग (NCST):** [NCST](#) की स्थापना अनुच्छेद 338A के तहत की गई थी।
 - इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और [राष्ट्रपति](#) द्वारा नियुक्त तीन अन्य सदस्य होते हैं।

- (c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के वरिद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nhrc-and-associated-challenges>

